आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–58 / 2020–21

1. दिवाकर महतो, पिता–स्व० मुचीराम महतो, सा०–मार्चाडीह, पो०–एडरमहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।...अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, सोनाहातु।..विपक्षी।

आदेश

12.12.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–438 R27/2018-2019/सोनाहातु में दिनांक–16 / 05 / 2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
मार्चाडीह	सोनाहातु	27	18	246	22 डी० मध्ये 04 डी०
				412	13 डी० मध्ये 01 डी०
				414	31 डी० मध्ये 03 डी०
			49	220	44 डी० मध्ये 07½ डी०
				293	66 डी० मध्ये 11 डी०
				340	03 डी० मध्ये 0½ डी०
			94	235	37 डी० मध्ये 03 डी०
				404	42 डी० मध्ये 07 डी०
				407	29 डी० मध्ये 05 डी०
				406	52 डी० मध्ये 09 डी०
			16	255	66 डी० मध्ये 11 डी०

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–438 R27/2018-2019/सोनाहातु का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार विक्रेता जाति कुर्मी के हैं, जो CNT से प्रभावित है अनुमति संबंधी कागजात संलग्न नहीं है। इस तरह ऐसी स्थिति में नामांतरण करना विधि सम्वत उचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त भूमि की खरीद–बिक्री के समय कुर्मी जाति के सदस्य को भूमि बिक्री करने के पूर्व छो०का०अधि० के तहत अनुमति लेने का का प्रावधान नहीं था। अतः इस अपील को स्वीकृत किया जाए।

उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के ज्ञापांक–217(ii) दिनांक–31 / 01 / 2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–25 / 01 / 2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
	अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि कथित भूमि का क्रेता–विक्रेता कुर्मी जाति हैं जो C.N.T. Act से आच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.01 13:49:45 +05:30
Location: 10.93.79.19